



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹20,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 74/2013 धारा-304 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय जिला/सत्र न्यायाधीश हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त दीपक उर्फ छुटकवा पुत्र गंगाराम सविता निवासी मुहल्ला कजियाना थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹20,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
डीजीसी श्री राजेश कुमार
शुक्ला



विवेचक-
उ0नि0 श्री अम्बिका
प्रसाद त्रिपाठी



पैरोकार- थाना मौदहा
का0 शुभम यादव